

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2792]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937

No. 2792]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

## सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3513(अ),—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनयम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कन्ध) की अधिसूचना संख्या का.आ. 196 (अ), तारीख 6 मार्च, 2000 तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1192 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2001 और का.आ.सं 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा आंध्र प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 447.000 कि.मी. से 464.000 कि.मी., 474.000 कि.मी., 175.640 कि.मी. से 447.000 कि.मी. और 474.000 कि.मी. से 480.000 कि.मी. (नागपुर से हैदराबाद सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जो सा.का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 को प्रकाषित किए गए थे और जिनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 एवं सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संघोधन किया गया था (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 26.03.2014 की शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 896 (अ) की सारणी 1 के क्रम संख्या 15 द्वारा यथासंघोधित अधिसूचना संख्या का. आ. 2171 (अ), तारीख 12.09.2012 का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि आंध्र प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (पुराना रा.रा—7) के 368.255 कि.मी. से 419.793 कि.मी. तक (अङ्लूर येल्लारेड्डी चेंगुटा सेक्षन) और 419.793 कि.मी. से 481.331 कि.मी., तक (चेंगुटा से बेवनपल्ली सेक्षन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों के (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) निम्नलिखित के लिए शुल्क उदग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगाः

टोल प्लाजा	सड़क की	सड़क पर 60	बाइपास की	बाइपास पर	संरचना की कुल	कुल टोल योग्य
	निवल लम्बाई	मीटर से अधिक	लम्बाई कि.मी.	संरचनाओं की	लम्बाई	लम्बाई (सड़क+
	(कि.मी. में)	की लम्बाई	में (60 मीटर से	लम्बाई कि.मी.	(सड़क+बाइपास	बाइपास +
	(बाइपासों और	वाली संरचनाओं	अधिक की	में	कि.मी. में)	संरचनाएं) कि.
	60 मीटर से	की लम्बाई	संरचनाओं को		,	मी. में
	अधिक की	(कि.मी. में)	छोड़कर			
	संरचनाओं को					
	छोड़कर					
भीकनूर	29.008	0.000	22.463	0.067	0.067	51.538
मनोहराबाद	48.077	0.130	13.331	0.000	0.130	61.538

और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क
	की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या	3.45
बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

# टिप्पणियाः-

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों पर, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

क्रम सं.	टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके	दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लिए शुल्क संदेय है	-
1.	निजामाबाद जिले में भीकनूर गांव के पास रारा–44	29.008 (368.255 कि.मी. से	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित
	(पुराना रारा–7) का 392.600 कि.मी.	419.793 कि.मी. तक)	आधार दरों का 150%
2.	मेढक जिले में मनोहराबाद गांव के पास रारा–44	48.077 (419.793 कि.मी. से	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित
	(पुराना रारा–7) का 443.713 कि.मी.	481.331 कि.मी. तक)	आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाल निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग हेतु, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की लम्बाई के लिए, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

क्रम	टोल प्लाजाओं का	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क
सं.	अवस्थान (चैनेज)		संदेय है
1.	निजामाबाद जिले में	98.250 करोड़ रुपए की लागत वाला 13.033 कि.मी. लम्बाई वाला	ऊपर सारणी–1 में
	भीकनूर गांव के	कामारेड्डी बाइपास (बाइपास पर 0.067 कि.मी. लम्बाई की संरचना को	उल्लिखित आधार
	पास रारा–44	छोड़कर)(371.000 कि.मी. से 384.100 कि.मी.)	दरों का 150%
	(पुराना रारा-7) का	28.800 करोड़ रुपए की लागत वाला 3.840 कि.मी. लम्बाई वाला भीकनूर	
	392.600 कि.मी.	बाइपास (393.400 कि.मी. से 397.240 कि.मी. तक)	
		40.527 करोड़ रुपए की लागत वाला 5.590 कि.मी. लम्बाई वाला	
		रामयमपेट बाइपास (401.240 कि.मी. से 406.830 कि.मी. तक)	
2.	मेढक जिले में	43.660 करोड़ रुपए की लागत वाला 6.717 कि.मी. लम्बाई वाला चेंगूटा	ऊपर सारणी—1 में
	मनोहराबाद गांव के	बाइपास (421.422 कि.मी. से 428.139 कि.मी. तक	उल्लिखित आधार
	पास रारा–44	46.298 करोड़ रुपए की लागत वाला 6.614 कि.मी. लम्बाई वाला तूपरन	दरों का 150%
	(पुराना रारा–7) का	बाइपास (436.318 कि.मी. से 442.932 कि.मी. तक)	
	443.713 कि.मी.		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित ऐसी संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए भी ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

क्रम सं.	टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी.में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	
1.	निजामाबाद जिले में भीकनूर गांव के पास रारा–44 (पुराना रारा–7)		0.670	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार
	का 392.600 कि.मी.	(373.346 से 373.413 तक)		दरों का 100%
2.	मेढक जिले में मनोहराबाद गांव के		1.300	ऊपर सारणी–1 में
	पास रारा–44 (पुराना रारा–7) का	(436.194 से 436.324 तक)		उल्लिखित आधार
	443.713 कि.मी.			दरों का 100%

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015—16 के लिए मासिक पास की दर 230.00/— रुपए (दो सौ तीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेत् पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थातः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं	विधिमान्यता की अवधि
	की अधिकतम संख्या	
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की	पचास	संदाय की समय से एक मास
राशि का दो–तिहाई		

- 6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सडक उपलब्ध न हो ।
- 7. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा को पार करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक अथवा मालिक या प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष कराने के लिए नियमों के अधीन, टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहन पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट—प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 10. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्डों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा।
- 11.. पूरी परियोजना अर्थात् 368.255 कि.मी. से 481.331 कि.मी. तक (अड्लूर येल्लारेड्डी से बेवनपल्ली सेक्शन) की पूंजीगत लागत 590.137 करोड़ रुपए है और 31.03.2015 तक एकत्रित छूट प्राप्त राजस्व 148.52 करोड़ रुपए है। वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत अभी 441.617 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 458 / 15-16 / सीओ / जीसी / हैदराबाद (368-471)] नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2015

**S.O. 3513(E).**—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 196(E) dated the 6<sup>th</sup> March, 2000 and Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192(E) dated 3<sup>rd</sup> December, 2001 and S.O. 465(E) dated the 26<sup>th</sup> April, 2002, issued under section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from Km 447.000 to Km 464.000, Km 464.000 to Km 474.000, Km 175.640 to Km 447.000 and Km 474.000 to Km 480.000 (Nagpur to Hyderabad Section) respectively of National Highway No. 7 in the State of Andhra Pradesh, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3<sup>rd</sup> December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12<sup>th</sup> January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12<sup>th</sup> October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16<sup>th</sup> December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16<sup>th</sup> January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21<sup>st</sup> November, 2014 & G.S.R. 220 (E) dated 23<sup>rd</sup> March, 2015 (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification bearing No. S.O. 2171(E) dated 12.09.2012 as amended vide Sl. No. 15 of Table 1 of fee notification bearing S.O. No. 896 (E) dated 26.03.2014, the Central Government, hereby, notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four or more lane section from km 368.255 to km 419.793 (Adloor Yellareddy to Chegunta Section) and from km 419.793 to km 481.331 (Chegunta to Bewenpally Section) of National Highway No. 44 (Old NH-7) in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the "said section"), at the base rates specified in column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as "base rate") for the following:—

Toll Plaza	Net road length	Length of	Bypass length	Length of	Total	Total Tollable
	(excluding	Structures >	(excluding	Structures on	structure	Length (Road
	Bypasses and	60m on Road	structures >60 m)	Bypass in Km.	length	+ Bypass +
	structure>60 m)	in Km.	in Km.		(Road +	structures) in
	in Km.				Bypass)	Km.
					in Km.	
Bhiknoor	29.008	0.000	22.463	0.067	0.067	51.538
Manoharabad	48.077	0.130	13.331	0.000	0.130	61.538

on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base
	year 2007-08 (in Rs.)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or	3.45
Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

## Notes:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza at the base rates as mentioned in table-1 above:

S1.	Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which	Rate at which fee is payable
No.		Fee is payable	
1	km 392.600 of NH-44 (Old NH-7), near village	29.008	100% of the base rates
	Bhiknoor in District Nizamabad	(from Km. 368.255 to	mentioned in Table-1 above
		Km. 419.793)	
2	km 443.713 of NH-44 (Old NH-7), near village	48.077	100% of the base rates
	Manoharabad in District Medak	(from Km. 419.793 to	mentioned in Table-1 above
		Km. 481.331)	

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more at the following Toll Plazas at one and half times the base rate of the length of bypasses specified for such Toll Plazas:

S.	Location of Toll Plazas	Length (in km) of bypass for which additional fee is	Rate at which fee
No.	(chainage)	payable	is payable
1	km 392.600 of NH-44 (Old NH-7), near village Bhiknoor in District Nizamabad	Kamareddy Bypass of 13.033 km length (Excluding 0.067 km. length of structures on bypass) (from km. 371.000 to km 384.100) costing Rs. 98.250 crore  Bhiknoor Bypass of 3.840 km length (from km. 393.400 to km. 397.240) costing Rs. 28.800 crore  Ramayampet Bypass of 5.590 km length (from km. 401.240 to km. 406.830) costing Rs. 40.527 crore	150 % of the base rates mentioned in Table-1 above
2	km 443.713 of NH-44 (Old NH-7), near village Manoharabad in District Medak	Chegunta Bypass of 6.717 km length (from km. 421.422 to km. 428.139) costing Rs. 43.660 crore  Toopran Bypass of 6.614 km length (from km. 436.318 to km. 442.932) costing Rs. 46.298 crore	150 % of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

S.	Location of Toll Plaza	Length of structures* (in km) to	Equivalent road	Rate at which fee is
No.	(chainage)	be converted into equivalent road	length (in km)	payable
		length		
1	km 392.600 of NH-44 (Old NH-	0.067 km	0.670	100% of the base
	7), near village Bhiknoor in	(from 373.346 to 373.413)		rates mentioned in
	District Nizamabad	structure on Kamareddy Bypass		Table-1 above
2	km 443.713 of NH-44 (Old NH-	0.130 km	1.300	100% of the base
	7), near village Manoharabad in	(from 436.194 to 436.324)		rates mentioned in
	District Medak	structure on road		Table-1 above

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way	Period of validity
	journeys allowed	
One and half times of the fee for one way	Two	Twenty four hours from the time
journey		of payment
Two-third of amount of the fee payable for	Fifty	One month from date of
fifty single journeys		payment

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.
- 7. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the Toll Plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

- 10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 11. The capital cost of the complete Projects i.e km 368.255 to km 481.331 (Adloor Yellareddy to Bewenpally Section) is Rs. 590.137 Crore and and discounted revenue collected till 31.03.2015 is Rs. 148.52 Crore. The capital cost yet to be recovered is Rs. 441.617 Cr. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/458/15-106/CO/GC Hyderabad (368–471)] NIRAJ VERMA, Jt. Secy.